भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1249

उत्तर देने की तारीख 11.02.2021

जनजातियों का निष्कासन

1249 डा. अमी याज्ञिक:
डा. एल. हनुमंतय्या:
श्री राजमणि पटेल:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 1, 2020 और दिसंबर 31, 2020 के बीच अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दावों की अस्वीकृति के कारण पहले से निष्कासित किए गए अनुसूचित जनजाति के लोगों और अन्य वन निवासियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार अस्वीकृत दावों के कारण निष्कासन का सामना करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासियों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1 मार्च, 2020 और 31 दिसंबर, 2020 के बीच अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत दावे अस्वीकृत होने के कारण अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति और अन्य परंपरागत वन निवासी को निष्कासित नहीं किया गया हैं।

(ख) 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कर्नाटक के चिक्कमगलूर जिले में अनुसूचित जनजाति के 1745 दावों को रद्द कर दिया गया है और ये सभी दावों के अस्वीकृत होने के कारण निष्कासन का सामना कर रहे है।

*****